



कार्यालय अधिष्ठाता  
अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा (म.प्र.)  
खेल परिसर के सामने, सांची रोड, विदिशा (म.प्र.) 464001, दूरभाष-07592-297001  
E-Mail:- [deangmcvidisha@gmail.com](mailto:deangmcvidisha@gmail.com), Website:- [www.gmcvidisha.org](http://www.gmcvidisha.org)

पत्र क्र- 1517 /स्था./अ.वि.वा.जी.एम.सी./2021

विदिशा/दिनांक- 31/03/2021

// नियुक्ति आदेश //

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा म.प्र. के पत्र क्रमांक 22/संचिशि/कोविड-19/2020 दिनांक 01.04.2020 एवं मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्र./एन.एच.एम/एच.आर/सेल-1/2021/5288 भोपाल दिनांक 23.03.2021 के अनुक्रम में कोविड-19 के संक्रमण एवं वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अत्यावश्यक सेवाओं हेतु इच्छुक एम.बी.बी.एस. उत्तीर्ण एवं स्टेट मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड निम्न चिकित्सकों की सेवायें को मध्यप्रदेश के स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध चिकित्सालय में अस्थाई रूप से आदेश जारी होने की दिनांक से 31/05/2021 तक की अवधि के लिये चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्र./एन.एच.एम/एच.आर/सेल-1/2021/5288 भोपाल दिनांक 23.03.2021 के द्वारा 01 अप्रैल 2021 से 02 माह की अवधि दिनांक 31 मई 2021 तक स्वीकृति प्रदान की गई है, तथा यह अवधि आवश्यकता अनुसार बढ़ाई अथवा घटाई भी जा सकती है, जिन्हें एन.एच.एम. द्वारा निर्धारित दर अनुसार मासिक मानदेय 60.000/-रु. (साठ हजार रुपये प्रतिमाह) प्रतिमाह देय होगा :-

स.क्र	चिकित्सा अधिकारी का नाम	पूर्ण पता
1	डॉ० नारायण किरार	मकान न. 147, हीरापुरा, राजीव नगर, विदिशा
2	डॉ० धर्मेन्द्र सिंह सिसोदिया	मकान न. 44, न्यु चौकसे नगर, जे.एन.सी.टी के पास भोपाल
3	डॉ० मानवीर सिंह गौतम	वाटर टैंक के पास, कृष्णा कॉलोनी, शिवनगर विदिशा म.प्र.


नियम एवं शर्तें:-


1. यह सेवायें पूर्ण रूप से अस्थायी होंगी एवं आकस्मिक सेवाओं के रूप में ली जायेगी। अतः इन सेवाओं को नियमित एवं संविदा सेवा के लिये किसी भी दशा में मान्य नहीं किया जावेगा।
2. उक्त नियुक्ति हेतु निर्धारित मानदेय एन.एच.एम. द्वारा देय होगा।
3. यह सेवा एक निश्चित समयावधि 31/05/2021 तक के लिये ही ली जा रही है। जिसे आवश्यकता होने पर बढ़ाया/घटाया जा सकेगा।
4. निर्धारित अवधि दिनांक 31/05/2021 को यह आदेश स्वतः ही समाप्त माना जावेगा।
5. उक्त मानव संसाधन की सेवायें कोविड-19 अस्पताल में ली जायेगी।
6. उक्त पद के नियंत्रणकर्ता अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता अ.वि.वा. जी.एम.सी विदिशा होंगे।

अधिष्ठाता  
अटल बिहारी वाजपेयी  
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा म.प्र. सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. संचालक, चिकित्सा शिक्षा म.प्र. सतपुड़ा भवन भोपाल।
3. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. सतपुड़ा भवन भोपाल।
4. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. भोपाल।
5. संभागायुक्त भोपाल संभाग, भोपाल म.प्र.।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला विदिशा।
7. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद, भोपाल म.प्र.।
8. चिकित्सा अधीक्षक, संबद्ध जिला चिकित्सालय विदिशा एवं सिविल सर्जन जिला चिकित्सालय विदिशा।
10. संबंधित चिकित्सा अधिकारी.....की ओर पालनार्थ।



  
अधिष्ठाता  
अटल बिहारी वाजपेयी  
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा